(5)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/180

1. लटूर आत्मज नन्दा जाति कीर निवासी ग्राम गुढासदावर्तिया नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1 कल्याणी देवी पत्नी लटूर जाति कीर निवासी ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
   1/2 प्रभू आत्मज लटूर जाति कीर निवासी ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/2/1–पांची पत्नी स्वर्गीय प्रभू जाति कीर निवासी ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
   1/2/2–मीना पुत्री स्वर्गीय प्रभू पत्नी जमनालाल जाति कीर निवासी ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 हाल निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
   1/2/3– आशीराम आत्मज स्वर्गीय प्रभू पत्नी प्रहलाद उर्फ विनोद जाति कीर निवासी ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
   1/2/4–फोरन्ता पुत्री स्वर्गीय प्रभू पत्नी प्रहलाद उर्फ विनोद जाति कीर
   1/2/–रामफूल आत्मज प्रभू जाति कीर निवासीगण ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 हाल निवास ग्राम सीसोला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
2. चतरा पुत्र भवाना जाति कीर निवासी ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
3. मथुरी पत्नी स्वर्गीय भवाना जाति कीर निवासी ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
4. चम्पा पत्नी मोतीलाल पुत्र स्वर्गीय भवाना जाति कीर निवासी ग्राम दुगारी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
5. मीतिया पत्नी सेवा पुत्री स्वर्गीय भवाना जाति कीर निवासी कीरों का बरडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
6. कैलाश पत्नी घासी पुत्री स्वर्गीय भवाना जाति कीर निवासी ग्राम बालापुरा अलोद पुलिया के पास, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
7. देवीलाल आत्मज भूरा जाति कीर निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
8. सतेश आत्मज देवीलाल जाति कीर निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
9. सीताराम आत्मज देवीलाल जाति कीर निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
10. कमलेश आत्मज देवीलाल जाति कीर निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
11. राजकुमार आत्मज देवीलाल जाति कीर निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 नाबालिग जर्ये संरक्षक देवीलाल आत्मज भूरा जाति कीर निवासी दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

(6)

अपील संख्या 2025/180

लद्धू मृतक जर्ये का.मु. कल्याणी वगै. बनाम मन्नी बाई

—अपीलांटगण

बनाम

1. पन्नी बाई पत्नी स्वर्गीय शोनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम भामर हाल निवासी मानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
2. दुर्गालाल आत्मज स्वर्गीय शोनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम भामर हाल निवासी मानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
3. राजस्थान सरकार द्वारा भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः— 1.श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामस्वरूप ऋषि अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 26.08.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 131/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज०) की भूमि खाता संख्या 176 सम्वत् 2072 से 2075 तक की कृषि भूमि खसरा संख्या 175 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 176 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। जिसके खातेदारान प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार इस कृषि भूमि पर काश्त कार्य कर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण अपने गांव गुढ़ासदावर्तिया से सदैव से ग्राम गुढ़ासदावर्तिया से फतेहपुरा जाने वाले रास्ते से भूमि खसरा संख्या 250 एवं 251 वाके ग्राम गुढासदावर्तिया की बीच की मेर पर होते हुये अपने खेत संख्या 176 पर पहुंचते है तदुपरान्त प्रार्थीगण अपने अन्य खेतो पर पहुंच जाते है। ग्राम गुढ़ासदावर्तिया की खाता संख्या 35 सम्वत् 2072 से 2075 तक की भूमि खसरा संख्या 250 रकबा 9 बीघा 09 बिस्वा स्थित है। जिसके खातेदारान चतरा पुत्र भवाना, मथरी पत्नी स्व. भवाना, चम्पा, मोतियां, कैलाश, नन्दू पुत्रियां भवाना कौम कीर निवासी गुढ़ासदावर्तिया दर्ज है। उक्त सहखातेदारान मे से नन्दू का देहान्त हो चुका है। जिसके वारिसान मे प्रत्यार्थी संख्या 7 पति, प्रत्यार्थीगण संख्या 8 लगायत 11 पुत्र यानी प्रत्यार्थीगण 7 लगायत 11 है। जीवित सह खातेदारान प्रत्यार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 है। प्रत्यार्थी संख्या 11 नाबालिग है। जिसे जर्ये संरक्षक पिता के प्रत्यार्थी बनाया गया है। ग्राम गुढासदावर्तिया की

(7)

जमाबंदी संख्या 156 सम्वत् 2072 से 2075 तक की कृषि भूमि खसरा संख्या 251 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा है जिसका खातेदार प्रत्यार्थीसंख्या 1 लटूर है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित अपनी कृषि भूमि पर कृषि उपज में काम आने वाले उपकरण ट्रेक्टर, ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु एवं आने जाने के लिये कम से कम 30 फुट चौड़े मार्ग की आवश्यकता होती है किन्तु मौके पर प्रत्यार्थीगण द्वारा अपने खाते के खेतो को हंकाई कर फाड़ देते है इसलिए प्रार्थीगण को अपने खेतो पर आने जाने के लिये तथा ट्रेक्टर, ट्रोली आदि सामान लाने ले जाने के लिये रास्ता शेष नही रहता है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 250 एवं खसरा संख्या 251 के मध्य बनी मेड़ पर होते हुये अपने खेत खसरा संख्या 176 तक पहुंचना पड़ता है। इस प्रकार प्रार्थीगण को अपने कृषि उपकरणों ट्रेक्टर, ट्रोली आदि को लाने ले जाने हेतु कम से कम 30 फुट चौड़े मार्ग की आवश्यकता है। प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये मार्ग को परिशिष्ट 'अ' में क से ख बिन्दुओं के बीच लाल स्याही से दर्शाया गया है। परिशिष्ट 'अ' प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। उक्त रास्ते को अपने खाते की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर आने जाने हेतु सख्त आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थीगण मौके एवं राजस्व अभिलेख राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ता कायम करवाना चाहते है। रास्ता कायम करवाने का अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त है। क्योंकि उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपने खाते के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीगण ने प्रत्यार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि हमारे खेतो पर जाने हेतु पूर्व में बने हुये रास्ते को मत बिगाड़ो और इसको मत हंकाओ किन्तु प्रत्यार्थीगण, प्रार्थीगण से कहते है कि यह तो हमारे खाते की जमीन है हम तुम्हारा रास्ता बंद करेगें और तुम्हे नहीं आने देगें। दिनांक 29.07.19 को तो प्रार्थीगण के आड़े फिर गये और धमकी दी कि यहां से हम नहीं निकलने देगें। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण है। प्रार्थीगण रास्ता कायम करवाने में नियमानुसार जो भी प्रतिकर की राशि बनती है उसे अप्रार्थीगण को अथवा राजकोष में अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण की भूमि ग्राम गुढ़ासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज०) में स्थित है। तथा प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि खसरा संख्या 250, 251 में रास्ता कायम करवाना चाहते है वह भूमि भी ग्राम गुढासदावर्तिया में स्थित होने से तथा मामला कायमी रास्ता होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रत्यार्थीगण द्वारा दिनांक 29.07.2019 को रास्ते में आने जाने के लिये प्रत्यार्थीगण ने प्रार्थीगण को मना करने से प्रार्थना पत्र का कारण उत्पन्न हुआ है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो व आधिपत्य की ग्राम गुढ़ासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज०) की खाता संख्या 176 सम्वत् 2072 से 2075 तक की भूमि खसरा संख्या 175 एवं 176 तक पहुंचने हेतु ग्राम गुढ़ासदावर्तिया की भूमि खसरा संख्या 250 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा एवं ग्राम गुढ़ासदावर्तिया की खाता संख्या 156 सम्वत् 2072 से 2075 तक की खसरा संख्या 251 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित विवरणानुसार एवं परिशिष्ट 'अ' के क से ख बिन्दुओं के बीच लाल स्याही से अंकित नजरी नक्शा के अनुसार लाल स्याही से अंकित स्थान पर प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर जाने आने के लिए कृषि उपकरण ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने एवं कृषि उपज लाने ले जाने के लिए कम से कम 30 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व नक्शे में कायम

(8)

किया जावे, जमाबंदी में अंकन किया जावे और रास्ते की स्थायी सीमाबंदी मौके पर कायम करने की कृपा करे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.05.2025 के द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 250 व 251 की भूमि में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय जैरे अपील विधिक संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यो एंव स्थापित कानून के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में रास्ता होने का तथ्य अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित किया गया था। स्पष्ट रूप से बताया गया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 को रास्ते के लिए जो स्थान है, जहां से वह हमेशा आते–जाते रहे है, नया रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य नही है। कानून भी यह कहता है कि यदि पूर्व में रास्ता मोजूद है, तो सुविधा के लिए नया रास्ता नही दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में पूर्व रास्ता बाबत सम्पूर्ण कथन व साथ में संलग्न नक्शा जो इस बात को दर्शाता था कि प्रार्थीगण को अपने खसरा संख्या–176 व 175 आने के लिए जो रास्ता है, वह पक्का मैन रोड जो मानपुरा से भामर आ रहा है। प्रार्थीगण ने भी अपना निवास मानपुरा में रहना बताया है। मानपुरा भामर के लिए जो रोड 15 फीट चौडा रास्ता है, जिस पर ट्रेक्टर ट्रोली लेकर आ जा रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये नक्शे मे अपीलांट की खातेदारी की भूमि तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2 की कृषि भूमि का नजरी नक्शा बनाकर प्रस्तुत किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो को नजर अंदाज रास्ता विध्यमान होते हुए भी नया रास्ता बनाये जाने का जो आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त

(9)

किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम–1 ने अपनी कृषि भूमि के पास में ही मकान भी बनाया हुआ है, जो अपनी कृषि भूमि से लगवा है, जहां से वह आ जा सकता है, इस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर जो निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण की अनुपस्थिति में देखी गयी मौका रिपोर्ट को आधार बनाया है, जबकि उक्त मौका रिपोर्ट के बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी आपत्ति प्रस्तुत कर दी थी। मौका रिपोर्ट पूर्णतया राजस्व नियमो के विपरीत बनाई गयी, राजस्व नियमो की पालना न होने से मौका रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लिये जाने योग्य भी नही थी। आपत्ति का प्रार्थना–पत्र निर्णय के समय ही निर्णय में अस्वीकार करना लिखा हुआ है, जो कि विधि की अवहेलना है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को पृथक से निर्णित करना चाहिए था, जिससे कि प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र अस्वीकार होने पर उसके विरूद्ध अपील या निगरानी प्रस्तुत कर अपनी बात को कहने का अवसर मिलता। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यो के विपरीत जाकर मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टगण की खातेदारी की भूमि पर रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया है, जबकि मैन रोड से पूर्व का रास्ता होते हुऐ विकल्प में एक ओर रास्ता मौजूद था, फिर भी सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखकर तीसरा रास्ता बनाया है, तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की मांग 30 फीट चौडे रास्ते की रही है, जबकि कृषि रास्ते के लिए 15 फीट रास्ता दिये जाने का ही प्रावधान है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने नियमो के विपरीत जाकर 30 फीट चौडा रास्ता बनाने का जो आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रिपोर्ट जो माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील से मंगवाई वह मात्र हल्का पटवारी द्वारा बनाई गयी है जबकि नियमो के तहत तहसीलदार, कानूगो की उपस्थिति में मौका देखकर रिपोर्ट तैयार किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की यह एक भारी व गंभीर भूल है, जिसकी पालना नहीं किये जाने से निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2025(1) पेज 476, आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1286, आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1281, आर.आर.टी. 2018–19(सप्लीमेंट्री) पेज 186, पेज 342, पेज 576 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 निरस्त किए जाने तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 175 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 250 व 251 की मेढ़ पर स्थित है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु मोके पर विद्यमान नहीं है। उक्त रास्ता निकटतम दूरी का रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तलब की है। विवादित रास्ते की रिपोर्ट दिनांक 27.05.2020 को तैयार की गई हैं। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2020 एवं उसके

(10)

साथ संलग्न नजरी नक्शें में खसरा नम्बर 250 व 251 के मध्य की मेढ़ पर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2020 विधि सम्मत रूप से तैयार की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.05.2025 पारित करते हुए प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 250 व 251 की भूमि में कायम किए जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने अपील में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 176 व खसरा नम्बर 175 वाके ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील सांगोद की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांटगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 250 व 251 में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तलब की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादित रास्ते की रिपोर्ट संलग्न है। विवादित रास्ते की रिपोर्ट पर दिनांक 27.05.2020 अंकित है तथा उक्त रिपोर्ट पर केवल पटवारी के हस्ताक्षर अंकित है। अतः उक्त रिपोर्ट दिनांक 27.05.2020 केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 27.05.2020 में खसरा नम्बर 250 व 251 के मध्य की मेढ़ पर कोई रास्ता मोके पर विद्यमान होने का अंकन नहीं है। साथ ही वैकल्पिक रास्ते का अंकन भी प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2020 पर नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो भू–अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, से निरीक्षण करवायेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति आमंन्त्रित करेगा। परन्तु प्रश्नगत मोका रिपोर्ट केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। अतः उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2020 सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किए जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 69 के प्रावधानों के विपरीत होने त्रुटिपूर्ण है। मोका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2020 में वैकल्पिक रास्ते का भी अंकन नहीं किया गया है जिससे यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्त विद्यमान है अथवा नहीं। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2020 एवं नजरी नक्शे में अपीलांटगण के खाते की खसरा नम्बर 250 व 251 के मध्य की मेढ़ पर रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

(11)

अतः ऐसी स्थिति में उक्त मोका रिपोर्ट के अनुसार अपीलांटगण के खाते की भूमि में रास्ता कायम किया जाना प्रस्तावित होने के कारण राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 69 के अनुसार उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2024 पर अपीलांटगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना कानन आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में मोका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किए जाने का कोई आदेश भी अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांटगण द्वारा उक्त मोका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रकट किए जाने बाबत कोई प्रार्थना–पत्र भी संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अपीलांटगण को उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2020 पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किए बिना ही पत्रावली वास्ते बहस नियत कर दी गई। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 27.05.2025 पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट वैकल्पिक रास्ते को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है तथा अपीलांटगण को विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 131/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी से वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करवाएं। साथ ही तैयार की गई मोका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें तथा प्रस्तुत की गइ आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.10.2025 को स्वयं उपस्थित रहें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

26/8/25

(मुरलीधर मालावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा